न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— श्री दिनेश आचार्य आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः—01 / 2024

तारीख दायर—02.04.2024

तारीख—निर्णय—13.03.2026

1. श्री जगन्नाथ पिता चेना लौहार निवासी लौहार फला , कालीभीत तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
2. श्री बगदीराम पिता चेना लौहार निवासी लौहार फला , कालीभीत तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
3. श्री गोवर्धन लाल पिता चुन्नीलाल लौहार निवासी लौहार फला , कालीभीत तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
4. श्री वालाराम पिता चुन्नीलाल लौहार निवासी लौहार फला , कालीभीत तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

.......अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती बगदीबाई पत्नी श्री देवीलाल लौहार निवासी कालीभीत तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
2. श्री मांगु पिता गोकल लौहार निवासी कालीभीत तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
3. श्री मोतीलाल. पिता गोकल लौहार निवासी कालीभीत तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
4. ग्राम पंचायत कालीभीत जरिये संरपंच कालीभीत तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
5. भूमिधारी· जरिये तहसीलदार लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

...........रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956 बनाराजगी निर्णय ग्राम पंचायत कालीभीत नामान्तरण संख्या 1882 दिनांक 28.11.2021

उपस्थित— अपीलान्ट की ओर से— अधिवक्ता श्री पुष्कर लाल मीणा

रेस्पोडेन्टगण ओर से—अनुपस्थित

—: :निर्णय : :—

अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि माननीय न्यायालय विद्वान अधीनस्थ ग्राम पंचायत कालीभीत व पटवार हल्का कालीभीत का निर्णय न्याय एवं कानुन के विपरीत है। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त नामान्तरकरण खोलते वक्त बिना जांच किये नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया है। अपीलाण्ट की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात मनावपुरा मौजा कालीभीत पटवार हलका कालीभीत की जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 के खाता संख्या नया 290 व पुराना 148 में वर्णित आराजीयात 1123 रकबा 0.1728 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1230 / 1 रकबा 1.1880 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 473 / 2 रकबा 0.7560 हैक्टेयर, भूमि स्थित है। उक्त आराजियात अपीलाण्ट की मौरूसी सम्पति है। मौजा कालीभीत, ग्राम पंचायत

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलुम्बर (राज

कालीभीत पटवार हल्का कालीभीत अपीलाण्ट के परिवार के भाई के लडके जयचन्द्र पिता रामा, मितु पिता रामा,शम्भूलाल पिता जयचन्द, सावंरिया पित कन्ना, कमलेश पिता कन्ना ने रजिस्टर्ड दस्तावेज से भूमि दान की गई अपीलाण्ट क्रम संख्या 01 से 02 तक आराजी संख्यांए 1123 रकबा 0.1728 हैक्टेयर में सम्पूर्ण हिस्से में से 1/4 वॉ हिस्सा एवं आराजी नम्बर 1230/1 रकवा 1.1880 हैक्टेयर भूमि में से 23/55 वॉ हिस्सा, आराजी नम्बर 473/2 रकवा 0.7560 हैक्टयर में सें 5/14 वॉ हिस्से की आराजीयात का कब्जा कास्त करते आ रहें है एवं अपिलाण्ट की क्रम संख्या 03 से 04 तक आराजी संख्यांए 1123 रकवा 0.1728 हैक्टेयर में सम्पूर्ण हिस्से में से 1/4 वॉ हिस्सा एवं आराजी नम्बर 1230/1 रकवा 1.1880 हैक्टेयर भूमि में से 03/22 वॉ हिस्सा, आराजी नम्बर 473/2 रकवा 0.7560 हैक्टयर में सें 02/07 वॉ हिस्से की आराजीयात पर कब्जा कास्त करते आ रहें है। चरण संख्या 02 में वर्णित आराजीयात का जयचन्द्र पिता रामा, मेठु पिता रामा,शम्भूलाल पिता जयचन्द्र, सावंरिया पित कन्ना, कमलेश पिता कन्ना रेस्पोडेन्ट क्रम संख्या 01 से 03 तक को दान किया गया आराजी संख्याए 1123 रकवा 0.1728 हैक्टेयर में सम्पूर्ण हिस्से में से 1/4 वॉ हिस्सा एवं आराजी नम्बर 1230/1 रकवा 1.1880 हैक्टेयर भमि में से 17/55 वॉ हिस्सा, आराजी नम्बर 473/2 रकवा 0.7560 हैक्टयर में सें 5/14 वॉ हिस्से की आराजीयात पर रेस्पोडेन्ट कब्जा काश्त करते आ रहें है। रेस्पोडेन्ट ने सरकारी कर्मचारी से मेली भगत होने से नामान्तरण गलत खुलवा दिया । अपीलाण्ट होशियार नही हाने एवं अनपढ होने से रेस्पोडेन्ट व सरकारी कर्मचारी मिलकर नामान्तरण खोलते समय अपीलाण्ट को पंजीकृत दस्तावेज से दान किया गया हिस्सा , सम्पूर्ण हिस्सा रेस्पोडेन्ट के नाम से नामान्तरण खोल दिया गया । जबकी नामान्तरण खोलते समय ग्राम पंचायत कालीभीत ने बिना जॉच किये अपीलाण्ट के आराजीयात में नामान्तरण खोल दिया जबकी अपीलाण्ट के नाम पर नामान्तरण खोल दिया । कलम संख्या 03 में वर्णित आराजीयात का हिस्सा अपिलाण्ट के नाम पर खुलना था एवं कलम संख्या 04 में वर्णित आराजीयात का हिस्सा रेस्पोडेण्ट के नाम से नामान्तरण खुलना था। क्रम संख्या मं 02 में वर्णित आराजीयात पर अपीलाण्ट का कब्जा होकर कास्त कर रहा है। अपीलाण्ट को भूमि अपने नाम पर नही होने की जानकारी दिनांक 05.01.2024 को हुई। अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट को वादग्रस्त भूमि अपने नाम करवाने को कहां तों उन्होने भूमि नाम पर करवाने हेतु मना कर दिया इसलिये अपीलाण्ट द्वारा आप न्यायालय के क्षैत्राधिकार होने से आप न्यायालय में उक्त अपील प्रस्तुत की जा रही है।इसलिये अधीनस्थ ग्राम पंचायत का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य हैं। अतः निवेदन किया गया कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ ग्राम पंचायत का निर्णय खारीज फरमाये जाने का आदेश प्रदान करावे।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन मय नकल अपील के तलब किये गये। रेस्पोडेन्टगण बावजूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहे। तत्पश्चात अपीलाण्ट अधिवक्ता की बहस सुनी गई अपीलाण्ट अधिवक्ता ने अपनी बहस में वही कथन किये जो अपील में वर्णीत है। उक्त अपील में तहसीलदार लसाडिया की रिपोर्ट तलब की गई तहसीलदार लसाडिया की रिपोर्ट अनुसार पटवार मण्डल कालीभीत के राजस्व ग्राम कालीभीत में पंजीकृत दस्तावेज दान पत्र के जरिये खसरा नम्बर 1238 रकबा –10 बीघा सम्पूर्ण हिस्सा, खसरा नम्बर 1230/1 रकबा 5–10 बीघा का हिस्सा –17/55,खसरा नम्बर 1123 रकबा 0–16 बीघा का हिस्सा – 1/4, खसरा नम्बर 473/2 रकबा–3–10 बीघा का हिस्सा–5/14 बीघा का हिस्सा दानकर्ता द्वारा दानग्रहीता को पंजीकृत दस्तावेज से दान किया गया। नामान्तरकरण संख्या 1882 दिनांक 28.11.2021 दर्ज करते समय सहवन से खसरा नम्बर 1238,1230/1,1123,473/2 किता–4 कुल रकबा 2.4408 हैक्टेयर भूमि में से पंतीकृत दस्तावेज दान पत्र में हिस्से के बजाय सहवन से सम्पूर्ण भूमि दानग्रहिता के नाम दर्ज हो गई तहसीलदार लसाडिया की जांच रिपोर्ट व विद्वान अधिववक्ता अपीलाण्ट की बहस के आधार पर अपीलाण्ट की अपील स्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

अतः अपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट साबित पाये जाने से स्वीकार की जाती है एवं ग्राम पंचायत कालीभीत द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1882 दिनांक 28.11..

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

2021 का निर्णय अपास्त किया जाता है पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार लसाडिया को रिमांण्ड किया जाकर निर्देशित किया जाता है की दोनो पक्षों की सुनवाई की जाकर नियमानुसार निर्णय पारित करें। आदेशानुसार पालना किये जाने हेतु तहसीलदार लसाडिया को लिखा जावें। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम हों।

निर्णय आज दिनांक 13.03.2026 को मेंरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश आचार्य RAS)

उपखण्ड अधिकारी

लसाडिया जिला सलुम्बर

उपखण्ड अधिकारी

लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)